राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–लेखा–18/वि.जां./2024–25/ दिनांकः

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अनूपगढ़,झुन्झुनूं,सीकर,अलवर,श्रीगंगानगर,भीलवाड़ा,
जोधपुर,कोटा,झालावाड,बून्दी,प्रतापगढ,उदयपुर।
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,श्रीगंगानगर।

विषयः–निरीक्षण विभाग द्वारा संपादित विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना के संबंध में।

संदर्भः–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग का राजकाज संदर्भ संख्या 13165664 दिनांक 25.01.2025 एवं 12310940 दिनांक 10.12.2024 तथा विभाग का पत्रांक 3197 दिनांक 27.11.2024, 2480–85 दिनांक 23.07.2024 एवं 1758 दिनांक 08.08.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित के क्रम में लेख है आपके तथा आपके अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण विभाग द्वारा संपादित विशेष जांच के संलग्न सूची के अनुसार अनुच्छेद बकाया चल रहे है। उक्त विशेष जांच सामान्यतः उच्च स्तर से निर्देश अथवा विभाग के प्रस्ताव/अभिशंषा पर ही करवायी जाती है। इन प्रतिवेदनों में गबन/गंभीर अनियमितताओं/वसूली आदि से संबंधी अनुच्छेद है, जिनमें समय पर वांछित कार्यवाही की जाकर पूर्ण अनुपालनायें निदेशक, निरीक्षण विभाग को प्रेषित की जाकर अनुच्छेदों का निस्तारण करवाया जाना अपेक्षित होता है, किन्तु आपको बार–बार स्मरण करवायें जाने के बावजूद भी वांछित पूर्ण एवं सारगर्भित अनुपालनायें प्रस्तुत नही की गयी है। **इस स्थिति को वित्त विभाग के स्तर पर उच्चाधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया गया है।**

वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग तथा निदेशालय द्वारा बार–बार पत्र/स्मरण पत्र जारी करने तथा ऑडिट कमेटी की बैठकों में अनुपालनाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी आप द्वारा ठोस एवं पूर्ण अनुपालनायें नही भिजवायी जा रही है। इससे यह प्रतित होता है कि आप द्वारा उक्त प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना में उदासीनता बरती जाकर समुचित कार्यवाही नही की जा रही है। जिसे सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थिति की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुये आप व्यक्तिशः रूचि लेकर, पत्र में अंकित दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों में उल्लेखित वसूली योग्य राशि की वसूली तथा अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी/दोषी कार्मिकों के विरूद्व नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये बिन्दुवार निरीक्षण विभाग द्वारा प्रेषित अभ्युक्तियों के अनुसार ठोस एवं पूर्ण अनुपालना अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें। आक्षेपानुसार वसूली नही करने एवं अनुपालना प्रेषित नहीं करने के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

यह भी ध्यान रहे कि अस्पष्ट (Vague) एवं अपूर्ण अनुपालना भिजवायें जाने का कोई औचित्य नहीं है।

संलग्नः–बकाया अनुच्छेदों की प्रति।

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–लेखा–18/वि.जां./2024–25/617 दिनांकः 20-02-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त शासन सचिव, (वित्त) अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान,जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH SHARMA <directorph-rj@nic.in>.

Digitally Signed by Ravi Prakash Sharma
Designation : Director
Date :19-02-2025 02:35:53

RajKaj Ref No.: 13574076

राजस्थान सरकार

परिशिष्ठ--04

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर

विशेष जांचनिरीक्षणप्रतिवेदनों के बकायाआक्षेपो काविवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिवेदन संख्या	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय				
1.	राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी, मुख्यालय।	45/1996-97	1	2
2.	भण्डार अधिकारी (स्टेशनरी), मुख्यालय।	68/1995-96	11	भाग (क)-3,4,5,6,7,8, भाग (ख)-2,3,4,5, भाग (ग)-1
		78/1995-96	1	2
3.	एसएसपीओ, मुख्यालय।	03/2003-04	2	1,2
	कुल	4	15	15
जोन--जयपुर				
4.	Block PHC बहादुरबास (झुन्झुनू)	31(3)/1997-98	2	3,6
5.	CMHO झुन्झुनू	42/1995-96	2	7(अ,ब,स),8
		31(i)/1997-98	14	1,4,5,6,8,9,11,12,18,21,32,33,35,39
6.	CMHO सीकर	66/1995-96	1	11(अ)
7.	CHC कूंदन जिला सीकर	16/1998-99	3	1(क,ख,ग),3,6
8.	CMHO अलवर	18/2010-11	17	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
	कुल	7	39	39
जोन--बीकानेर				
9.	राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी जिला अस्पताल,श्रीगगांनगर	1/2017-18	3	1,2,3
10.	CHC अनूपगढ,श्रीगगांनगर	9/2002-03	15	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
11.	CMHO, अनूपगढ,श्रीगगांनगर	10/2002-03	22	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22
	कुल	3	40	40
जोन--अजमेर				
12.	CMHO भीलवाडा	25/1995-96	1	12
	कुल	1	1	1
जोन--जोधपुर				
13.	CMHO जोधपुर	7/1995-96	4	2,6,7(ब),11
		4/2003-04	3	1,2,7
	कुल	2	7	7
जोन--कोटा				
14.	CMHO कोटा	5/1995-96	4	3,4,5,6
		4/1999-2000	8	1(1,3,4),18,24,25,28,34,35,53
		3/2017-18	1	1
15.	CMHO झालावाड	5/2003-04	4	2,6,8,11
		35/1995-96	1	भाग(स)-8
16.	CMHO बून्दी	1ई/1985-86	11	9,10,11,15,17,19,20,21,22,25,27
	कुल	6	29	29
जोन--उदयपुर				
17.	CMHO उदयपुर	1सी/1985-86	9	2,3,4,6,7,8,9,10,12
		8/1995-96	2	11(अ,ब,स,द,क,ख,ग,घ),16
18.	CHC वल्लभनगर (उदयपुर)	7/2018-19	13	1(अ,द),2,3,4,5,6,7,8,10,12,13(13),14,16
19.	CMHO प्रतापगढ	1ए/1985-86	7	2,6,7,8,9,11,12
	कुल	[illegible]	[illegible]	[illegible]